188/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 188/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम), श्रीगंगानगर

A3

11—02—2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2016 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से 9 बिन्दुओ की सूचना चाही गई थी जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही सूचनांओ के संबंध में उनके द्वारा अपने पत्र सं0 1828 दिनांक 14.10.15 से सूचनांए उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2016 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः—

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्रीगंगानगर के पत्रांक 2928—29 दिनांक 2.09.2016 व रिसीप्ट रजिस्टर का क्रमांक।
2. प्रार्थी के परिवाद में वर्णित पत्रांक प्रार्थी 6275 दिनांक 18.08.2016 में बिन्दु संख्या एक से चार के संबध में जो जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. श्री सांवरमल रेगर तत्कालीन तहसीलदार श्रीगंगानगर ने बिना अनुमति सरकार की प्राईवेट वकील श्री प्रेमप्रकाश व दुर्गा प्रसाद को जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त किया है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।
4. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1980 की धारा 32 के अन्तर्गत सरकार की अनुमति से परिवाद बीएलओ के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त सहायक लोक अभियोजन द्वारा प्रकरण में पैरवी करने के उपरान्त भी तहसीलदार परिवादी जिससे परिवाद पेश किया है वह प्राईवेट वकील उसी परिवाद में पैरवी करने हेतु जिस अधिनियम की धारा में नियुक्त कर सकता है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. उपरोक्त परिवाद में प्राईवेट वकील नियुक्त करने का प्रावधान किसी अधिनियम में न होने की अवस्था में तहसीलदार सांवरमल रेगर द्वारा जिस आश्य व उददेश्य से अधिनियम के अन्तर्गत श्री प्रेमप्रकाश मक्कड व दुर्गाप्रसाद जी को पैरवी करने हेतु नियुक्त किया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. दिनांक 13.05.2016 के पश्चात पेशी दिनांक 02.07.2016 दिनांक 6.08.2016 व 06.09.2016 को सरसरी सबूत व जवाब प्रार्थना पत्र का देने हेतु न्यायालय में जिस राजकीय कार्य के कारण उपस्थित न होने व प्राईवेट वकील के जरिये उपस्थित होने की सूचना श्री सांवरमल जी के शपथ पत्र सहित।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

PTO

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
188/2016

A3/2

7. एक तरफ जब श्री सांवरमल जी रेगर माननीय अदालत से सहायक लोक अभियोजक से पैरवी करने की अनुमति प्रार्थना पत्र पेश कर मांग रहे हैं दूसरी ओर प्राईवेट वकील से पैरवी करवा रहे है इस विरोधाभासी प्रार्थना पत्रोत्र व अनुमति के संबध में श्री सांवरमल रेगर के शपथ पत्र सहित सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

8. श्री सांवरमल रेगर द्वारा अदालत में दिनांक 13.05.2016 को प्रार्थना पत्र जो दस्तावेजात पेश करने के लिए अनुमति मांगी गई है जिससे लगभग एक वर्ष से ईस्तगाया लच्चर पडा है उन दस्तावेजों की सूचनी व दस्तावेजों की विषय वस्तु सूचना जिन्हे अदालत में पेश करना है सांवरमल जी के हस्त लिखित शपथ पत्र सहित।

9. श्री सांवरमल रेगर द्वारा आपको लिखे गये पत्र दिनांक 13.05.2016 पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1965 दिनांक 26.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 1153 दिनांक 07.10.2016 के द्वारा पंजिकृत डाक से प्रार्थी को समय पर उपलब्ध करवा दी गई थी। इसलिए अपील खारिज की जावे।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) श्रीगंगानगर द्वारा पत्र सं0 1153 दिनांक 07.10.2016 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

बिन्दु	प्रश्न	उत्तर
1.	अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर श्रीगंगानगर के पत्रांक 2928–29 दिनांक 2.09.2016 व रिसीप्ट रजिस्टर का कमांक।	3624 दिनांक 07.09.2016
2.	प्रार्थी के परिवाद में वर्णित पत्रांक प्रार्थी 6275 दिनांक 18.08.2016 में बिन्दु संख्या से चार के संबध में जो कार्यवाही की गई उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।	इस कार्यालय में प्राप्त नही हुआ है।
3.	श्री सांवरमल रेगर तत्कालीन तहसीलदार श्रीगंगानगर ने बिना अनुमति सरकार की प्राईवेट वकील श्री प्रेमप्रकाश व दुर्गा प्रसाद को जिस अधिकारी की अनुमति से नियुक्त किया है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।	सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः सूचना शून्य है।
4.	जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1980 की धारा 32 के अन्तर्गत सरकार की अनुमति से परिवाद बीएलओ के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त सहायक लोक अभियोजन द्वारा प्रकरण में पैरवी करने के उपरान्त भी तहसीलदार परिवादी जिससे परिवाद पेश किया है वह प्राईवेट वकील उसी परिवाद में पैरवी करने हेतु जिस अधिनियम की धारा में नियुक्त कर सकता है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः सूचना शून्य है।
5.	उपरोक्त परिवाद में प्राईवेट वकील नियुक्त करने का प्रावधान किसी अधिनियम में न होने की अवस्था में तहसीलदार सांवरमल रेगर द्वारा जिस आश्य व उददेश्य से अधिनियम के अन्तर्गत श्री प्रेमप्रकाश मक्कड व दुर्गाप्रसाद जी को पैरवी करने हेतु नियुक्त किया उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।	सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः सूचना शून्य है।
6.	दिनांक 13.05.2016 के पश्चात पेशी दिनांक 02.07.2016 दिनांक 6.08.2016 व 06.09.2016 को सरसरी सबूत व जवाब प्रार्थना पत्र का देने हेतु न्यायालय में जिस राजकीय कार्य के कारण उपस्थित न होने व प्राईवेट वकील के जरिये उपस्थित होने की सूचना श्री सांवरमल जी के शपथ पत्र सहित।	सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही है। अतः सूचना शून्य है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

P T O